कोर्टकेस / फैक्स

संख्या–472ख / छः–पु0–4–2017–रिट(28)बी / 2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2– प्रमुख सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3– प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4– प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उ0प्र0 शासन।

5– पुलिस महानिदेशक,
अभियोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

6– पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

7– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

8– महानिदेशक, महिला,
सम्मान प्रकोष्ठ,
उ0प्र0 शासन।

9– समस्त पुलिस महानिरीक्षक /
उप पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।

10– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /
पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0।

गृह (पुलिस) अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल, 2017

विषयः रिट याचिका सं0–21582(एम / बी) / 2016 उ0प्र राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–18888 / 2016 श्रीमती आरती अग्निहोत्री बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 15–12–16 एवं 20–08–2016 के अनुपालन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या–21582(एम / बी) / 2016 बेली उर्फ विनोद कुमार बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–18888 / 2016 श्रीमती आरती अग्निहोत्री बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 15–12–2016 एवं 20–08–2016 (वेबसाइट पर उपलब्ध) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किसी अपहृता (वयस्क / अवयस्क) की बरामदगी के पश्चात् उसकी चिकित्सीय परीक्षण में देरी तथा द0प्र0सं0 की धारा 164 के अन्तर्गत तत्काल बयान न कराये जाने एवं इस दौरान उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने पर कड़ी आपत्ति की गयी है। उक्त याचिका संख्या–21582(एम / बी) / 2016 बेबी द्वारा उसके मित्र बेली उर्फ विनोद कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 15–12–2016 को पारित आदेश के अनुपालन में निम्न निर्देश दिये जाते हैंः–

1— किसी भी महिला के अपहरण के अपराध की प्राथमिकी दर्ज होते ही विवेचनाधिकारी का दायित्व होगा कि तत्काल उसकी उम्र से सम्बन्धित दस्तावेज, यथा मैट्रिक/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र, पीड़िता/अपहृता के पढ़ने का अन्तिम स्कूल/शिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र अथवा नगर निगम या नगर पालिका, पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जैसे अभिलेखीय साक्ष्य तत्काल प्राप्त करें, जिससे अपहृता के बरामद होने पर उसकी आयु निर्धारित करने में समय न लगे। विवेचनाधिकारी अपहृता की आयु का निर्धारण अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

2— पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी की दशा में उसे थाने या किसी भी स्थान पर पुलिस अभिरक्षा में कदापि नहीं रखा जायेगा, जिससे उसकी स्वतन्त्रता वंचित हो। विवेचनाधिकारी व उसके पर्यवेक्षणीय अधिकारी का दायित्व होगा कि बरामदगी के तत्काल पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी सुपुर्दगी का आदेश प्राप्त करें व तत्काल 164 द0प्र0सं0 का बयान दर्ज कराने हेतु तिथि प्राप्त करें। यदि अपहृता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो मा0 उच्चतम न्यायालय की 03 सदस्यीय पीठ द्वारा ज्ञान देवी प्रति अधीक्षक, नारी निकेतन दिल्ली (1976)3 SCC 234 में पारित निर्णय तथा मा0 उच्च न्यायालय के उल्लिखित निर्णय के अनुसार उसको, विवेचनाधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा 02 स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अवमुक्त कर सभी के हस्ताक्षर पंचनामें में कराये जायेंगे। यदि पीड़िता /अपहृता की उम्र 18 वर्ष से कम है या उसकी उम्र निश्चित करने में कोई संशय है और किसी अपरिहार्य कारण से न्यायिक मजिस्ट्रेट से उसकी सुपुर्दगी के संबंध में आदेश प्राप्त करना सम्भव न हो, तथा जब तक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्दगी के आदेश न पारित किये जायें तब तक विवेचनाधिकारी/पुलिस अधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके अभिभावकों की अभिरक्षा में दिये जाने का आदेश प्राप्त किया जाय। यदि किसी अपरिहार्य कारण से उसके कोई अभिभावक उपलब्ध न हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे जब तक अभिभावक न आ जायें या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी सुपुर्दगी के संबंध में कोई आदेश न दिये जायें तब तक प्रतिप्रेषण गृह या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था में रखने के आदेश दिये जायेंगे।

3— किसी भी महिला के विरूद्ध घटित अपराध या अपहृता की बरामदगी के पश्चात् विवेचनाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल उसको चिकित्सीय परीक्षण हेतु जिला अस्पताल में प्रस्तुत करे। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित अपहृता/पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण उसी दिन सायं 5 बजे से 6 बजे से पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय। यदि अपहृता /पीड़िता की आयु का निर्धारण चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर किया जाना आवश्यक है तो आयु के संबंध में चिकित्सक का अभिमत 03 घण्टे में उपलब्ध कराये जाने का प्रयास होना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से चिकित्सकीय परीक्षण समय से पूर्ण नहीं हो पाता है और अगले दिन भी चिकित्सकीय परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता हो तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा ऐसे कारणों को उल्लिखित करते हुए विवेचनाधिकारी को इस आशय का लिखित आदेश दिया जायेगा। विवेचनाधिकारी पीड़िता/अपहृता को उसी व्यक्ति को सुपुर्द कर देगा, जिसकी सुपुर्दगी से उसने

पीड़िता/अपहृता को प्राप्त किया है और यदि प्रतिप्रेषण गृह से प्राप्त किया है तो उसे वापस प्रतिप्रेषण गृह में दाखिल करेगा।

4— यदि 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान कराने में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो ऐसी दशा में विवेचनाधिकारी द्वारा पीड़िता/अपहृता को उसी व्यक्ति या संस्थान को अभिरक्षा में उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे उसने प्राप्त किया था और 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान के लिए निश्चित तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होने की सूचना पीड़िता/अपहृता व उस व्यक्ति को दी जायेगी।

5— जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त बैठक करके अपने-अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, समस्त मजिस्ट्रेट तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को शासनादेश के विषय में जानकारी देते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

6— प्रत्येक माह होने वाली अपराध गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में आंकड़े प्राप्त कर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

7— पीड़िता/अपहृता के चिकित्सीय परीक्षण एवं 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत होने वाले विलम्ब के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधीक्षक/प्रोबेशन अधिकारी के साथ मासिक मानीटरिंग सेल की बैठक में जनपद न्यायाधीश को अवगत कराते हुए उसका निराकरण भी कराया जायेगा।

8— उक्त निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों का उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

3— गृह/गोपन/बीजा एवं कारागार विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।